**हस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में हिन्दी की उपेक्षा**

2932. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्थानों, हस्पतालों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य संस्थानों में से किसी में भी राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है बल्कि वहां इनकी घोर उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) क्या इन संस्थानों की अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति है ; यदि हां, तो इनमें से किस-किस समिति में पर्यवेक्षक के रूप में गैर-सरकारी सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं ; क्या इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य अपना काम हिन्दी में करते हैं; यदि हां, तो वे अपना कितना प्रतिशत काम हिन्दी में करते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उनके द्वारा किसी भी अवसर पर अपनी वार्षिक निधि का 25 से 50 प्रतिशत भाग "क' क्षेत्र में स्थित पुस्तकालयों के लिये हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च नहीं किया गया और इस संबंध में उन्होंने घोर उपेक्षा बरती है जो अपमानजनक है ; और

(घ) क्या यह सच है कि अधिनियम की धारा 10(4) और धारा 8(4) दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल डा० राम मनोहर लोहिया हस्पताल आदि पर लागू नहीं की गई है और इसके किसी भी विभाग में एक भी ऐसा अनुभाग नहीं है जहां शत प्रतिशत काम हिन्दी में होता है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :** (क) राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संस्थाओं, अस्पतालों, अनुसंधान संस्थाओं द्वारा लागू किया जा रहा है ।

(ख) प्रमुख संस्थानों, अस्पतालों आदि द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं । निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में नामित किया गया है (i) अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान मैसूर–प्रो० एम० एस० कृष्णमूर्ति, (ii) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ– श्री मुकुलचन्द पांडेय, (iii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली– डा० (श्रीमती शांति सक्सेना), (iv) क्षेत्रीय स्वास्थ्य औरप्परिवार कल्याण कार्यालय, लखनऊ– श्री मुकुल चन्द पांडेय, (v) चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास– डा० आर० वेंकटकृष्णन् और (vi) केन्द्रीय कृष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान– चेंगलपट्टु–डा० आर० वेंकटकृष्णन् । इन संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है ।

(ग) सभी कार्यालयों की वार्षिक राशि का 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च करने के अनुदेश जारी किए गए हैं ।

(घ) राजभाषा नियम 10(4) और नियम 8(4) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर लागू होते हैं और इन कार्यालयों को नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित भी किया गया है ।

सभी अधिसूचित कार्यालयों, संस्थाओं अस्पतालों आदि में 1–4–1988 से नियम 8(4) के कार्यान्वयन के बारे में राजभाषा विभाग के हाल ही के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।